इंटरनेट मानक

Disclosure to Promote the Right To Information

Whereas the Parliament of India has set out to provide a practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, and whereas the attached publication of the Bureau of Indian Standards is of particular interest to the public, particularly disadvantaged communities and those engaged in the pursuit of education and knowledge, the attached public safety standard is made available to promote the timely dissemination of this information in an accurate manner to the public.

“जानने का अधिकार, जीने का अधिकार”
Mazdoor Kisan Shakti Sangathan
“The Right to Information, The Right to Live”

“पुराने को छोड नये के तरफ”
Jawaharlal Nehru
“Step Out From the Old to the New”

IS 4175 (B) (1981): Correcting fluid (Bi-Lingual) [CHD 14: Printing, Inks, Stationary and Allied Products]

“ज्ञान से एक नये भारत का निर्माण”
Satyanarayan Gangaram Pitroda
“Invent a New India Using Knowledge”

Act Number 22 of 2005
The Indian Parliament
RIGHT TO INFORMATION

Made Available By
Public.Resource.Org

“ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो कभी चुराया नहीं जा सकता है”
Bhartṛhari—Nītiśatakam
“Knowledge is such a treasure which cannot be stolen”

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN

IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT

PROTECTED BY COPYRIGHT

IS 4175 : 1981

(Reaffirmed 1997)

भारतीय मानक

संशोधन तरल की विशिष्टि

(पहला पुनरीक्षण)

Indian Standard

SPECIFICATION FOR CORRECTING FLUID

(First Revision)

यूडीसी/UDC 681·62·06 : 686·868·8

© भा मा ब्यूरो 1993

भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली 110002

© BIS 1993

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
MANAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI 110002

नवम्बर/*November* 1993

मूल्य वर्ग/**Price Group 3**

भारतीय मानक

संशोधन तरल की विशिष्टि

(पहला पुनरीक्षण)

Indian Standard

SPECIFICATION FOR CORRECTING FLUID

(First Revision)

0 प्राक्कथन

0.1 इस भारतीय मानक (पहला पुनरीक्षण) के मसौदे को स्याही और सम्बद्ध उत्पाद विषय समिति द्वारा अंतिम रूप देने और रसायन विभाग परिषद् के अनुमोदन के बाद दिनांक 31 जनवरी 1981 को ग्रहण किया गया ।

0.2 यह मानक मूल रूप से 1967 में प्रकाशित हुआ था । इस मानक को लागू करने के दौरान निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं को प्राप्त अनुभवों के आधार पर इसके पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई । इस पुनरीक्षण में सूखने और परत बनने के गुण-धर्मों के लिए परीक्षण पद्धतियाँ और अपेक्षाएँ सम्मिलित की गई हैं और घुलनशील ठोस पदार्थों की सीमाओं में संशोधन किया गया है ।

0.3 इस मानक में दिए गए संशोधन तरल को विभिन्न प्रकार के डुप्लीकेटरों के लिए प्रयुक्त मोम रहित स्टेंसिल कागज पर ब्रुश के द्वारा लगाया जाता है जिससे कि टाइप किए गए अथवा हाथ से लिखे गए संशोधन किए जा सकें ।

0.4 यदि देखना हो कि इस मानक में किसी अपेक्षा विशेष का पालन किया गया है या नहीं, तो परीक्षण अथवा विश्लेषण में अवलोकन या गणना द्वारा प्राप्त परिणाम के रूप में जो भी मान आया हो, उसे IS 2 : 1960* के अनुसार पूर्णांक में बदल लिया जाए । पूर्णांकित मानों में सार्थक स्थान उतने ही रखे जाएँ जितने कि इस मानक के निर्दिष्ट मान में दिए गए हैं ।

1 विषय क्षेत्र

1.1 इस मानक में मोम रहित स्टेंसिल कागज पर संशोधन करने के लिए प्रयुक्त तरल के लिए नमूने लेने, परीक्षण की पद्धतियाँ और अपेक्षाएँ दी गई हैं ।

0 FOREWORD

0.1 This Indian Standard (First Revision) was adopted by the Indian Standards Institution on 31 January 1981, after the draft finalized by the Inks and Allied Products Sectional Committee had been approved by the Chemical Division Council.

0.2 This standard was originally published in 1967. Experience gained by manufacturers and users during this time in use of this standard has necessitated its revision. In this revision, the requirements and methods of test for drying properties and film properties have been added and the limit for soluble solids has been amended.

0.3 Correcting fluid covered in this standard is used for application with a brush on waxless stencil papers used for various types of duplicators for the purpose of carrying out corrections in hand-written or typewritten matter.

0.4 For the purpose of deciding whether a particular requirement of this standard is complied with, the final value, observed or calculated, expressing the result of a test or analysis, shall be rounded off in accordance with IS 2 : 1960*. The number of significant places retained in the rounded off value should be the same as that of the specified value in this standard.

1 SCOPE

1.1 This standard prescribes the requirements and the methods of sampling and test for correcting fluid used for carrying out corrections on waxless stencil papers.

---

*संख्यात्मक मानों के पूर्णांकन संबंधी नियम (पुनरीक्षित) ।

*Rules for rounding off numerical values (*revised*).

2 पारिभाषिक शब्दावली

2.1 इस मानक के प्रयोजन के लिए IS 4395 : 1967* में दी गई परिभाषाएँ लागू की जायें ।

3 अपेक्षाएँ

3.1 विवरण

सामग्री को रंगदार बनाया जाए जिससे कि वह जहाँ लगाया जाता है दिखाई दे सके। इसे ऐसा बनाया जाए कि यह स्टेंसिल कागज पर अच्छी तरह चिपक सके और उसके आरपार न निकले और न ही इससे स्टेंसिल पर कोई धब्बा पड़े ।

3.2 तलछट

जब तरल को बन्द बोतल में रखा जाए तो यह बोतल के चारों ओर तथा तल में न तो जमा हो अथवा न ही तलछट के रूप में इकट्ठा हो।

3.3 स्पष्टता

सामग्री स्पष्ट घोल के रूप में हो और जब उसे लगभग 2 सेमी^{2} क्षेत्र के स्टेंसिल कागज पर समान रूप से लगाया जाये और प्रकाशित पृष्ठभूमि के सामने रखकर जाँचा जाए तो पूर्णत: सूखने के बाद देखने में वह सतह से न तो उखड़े और न ही सख्त कणों और बिन्दुओं के रूप में हो ।

3.4 प्रवाह

सामग्री ऐसी हो कि वह ब्रुश से आसानी से लगाई जा सके और ब्रुश के बालों में इकट्ठी न हो, न ही ब्रुश को सीधा पकड़ने पर वह धब्बे के रूप में गिरे।

3.5 गाढ़ा होना और विघटन

सामग्री को जब हवारोधी बोतल में बंद रखा जाए तो न तो वह गाढ़ी हो और न ही उसमें विघटन के कोई चिह्न तथा न ही कोई परिवर्तन दिखाई दे।

3.6 घुलनशील ठोस

जब सामग्री का परिशिष्ट "क" में उल्लिखित के अनुसार परीक्षण किया जाए तो उसमें घुलनशील ठोस 7 प्रतिशत से कम न हो।

3.7 सूखने का समय

सामग्री स्टेंसिल कागज पर लगाने के बाद 45 सेकन्ड में पूर्णत: सूख जाए और वह परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित परीक्षण में भी खरी उतरे।

2 TERMINOLOGY

2.1 For the purpose of this standard, the definitions given in IS 4395 : 1967* shall apply.

3 REQUIREMENTS

3.1 Description

The material shall be tinted to make it visible where it has been applied. It shall adhere perfectly to the stencil paper and shall not show any strike-through nor it shall have any smearing effect.

3.2 Sediment

The material shall show no sediments or deposits either at the bottom or on the sides of the container when kept in a closed container.

3.3 Clarity

The material shall be a clear solution and, when applied evenly on a stencil paper on about 2 cm^2 area and examined against a lighted background, shall show no streak or hard particles or dots on the surface after it is allowed to dry completely.

3.4 Flow

The material shall flow freely from the brush and shall not clog the bristles of the brush, nor it shall drop as a blob while holding the brush in an upright position.

3.5 Thickening and Decomposition

The material shall not appreciably thicken when kept in a closed air-tight container and shall not have any change nor shall show any sign of decomposition.

3.6 Soluble Solids

The material shall contain soluble solids not less than 7 percent by mass when tested as prescribed in Appendix A.

3.7 Drying Time

The material shall dry completely in 45 seconds after it is applied to stencil paper and shall pass the test prescribed in Appendix B.

---

*स्याही और संबद्ध उद्योगों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली ।

*Glossary of terms relating to ink and allied industries.

3.8 परत संबंधी गुणधर्म

सामग्री की सूखी परत में नम्यता के अच्छे गुण पाए जाएँ और वह परिशिष्ट "ग" में उल्लिखित परीक्षण की अपेक्षाओं में खरी उतरे।

3.9 कार्यकारिता

सामग्री परिशिष्ट "घ" में उल्लिखित कार्यकारिता संबंधी परीक्षण में भी खरी उतरे।

4 पैकिंग और सूचनांकन

4.1 पैकिंग

सामग्री को काँच की बोतल में पैक किया जाए और उसमें ऐसा हवारोधी ढक्कन लगा हो जिस पर सामग्री का प्रभाव न पड़ता हो। प्रत्येक काँच की बोतल में एक ब्रुश हो जो ढक्कन में अच्छी तरह से बैठा हुआ हो जिससे कि वह छोटी शीशी के तल में पहुँच सके। प्रत्येक बोतल को उपयुक्त कार्टन में पैक किया जाए जिससे कि उठाने, धरने और परिवहन के दौरान उसमें टूट-फूट न हो।

4.2 सूचनांकन

प्रत्येक बोतल और कार्टन पर निम्नलिखित जानकारी अंकित की जाए:

क) सामग्री का नाम और ग्रेड;

ख) निर्माता का नाम और/अथवा उसका मान्यता प्राप्त मार्का, यदि कोई हो तो;

ग) कूट अथवा अन्यथा में पहचान के लिए चिह्न जिससे कि निर्माण की खेप का रिकार्ड से पता लगाया जा सके;

घ) निर्माण का वर्ष और महीना;

च) उपयोग के लिए निर्देश; और

छ) उपयोग के बाद बोतल को कसकर बंद करके ठंडे स्थान में रखने संबंधी सावधानी के लिए टिप्पणी।

4.2.1 बोतल को मानक मुहर से अंकित किया जा सकता है।

टिप्पणी -- मानक मुहर का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। किसी भारतीय मानक से संबंधित उत्पाद पर इस मुहर का लगा होना इस बात का आश्वासन है कि उस वस्तु के बनाने में उस मानक में दी गई अपेक्षाओं का पालन किया गया है और उत्पादन के दौरान उसका निरीक्षण, परीक्षण और गुणता नियंत्रण उस सुनिश्चित प्रणाली के अनुसार हुआ है, जिसका निर्धारण और पर्यवेक्षण तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा होता है परन्तु क्रियान्वयन उत्पादक द्वारा। इस प्रणाली में बचाव की एक और बात यह है कि जिन उत्पादों पर यह मानक मुहर अंकित की जाती है भारतीय मानक ब्यूरो उन उत्पादों की लगातार जाँच पड़ताल करके यह मालूम करता रहता है कि वह उत्पाद संबद्ध मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। निर्माताओं तथा संस्कर्ताओं को जिन शर्तों पर मानक मुहर लगाने का लाइसेंस दिया जाता है, उनका विवरण भारतीय मानक ब्यूरो से मिल सकता है।

3.8 Film Properties

The dried film of the material shall have good flexible properties and shall pass the requirements of the test prescribed in Appendix C.

3.9 Performance

The material shall satisfy the test for performance as prescribed in Appendix D.

4 PACKING AND MARKING

4.1 Packing

The material shall be packed in glass containers provided with air-tight caps which shall not be effected by the material. Each glass container shall be furnished with a brush securely fixed to the cap so as to reach near the bottom of the phial. Each container shall be packed in a suitable carton so as to prevent breakage in handling and transit.

4.2 Marking

Each container and carton shall be marked with the following information:

a) Name of the material;

b) Manufacturer's name and/or recognized trade-mark, if any;

c) Identification mark, in code or otherwise, to enable the batch of manufacture to be traced from records;

d) Month and year of manufacture;

e) Directions for use; and

f) A note of caution after use, to keep the bottle firmly closed and to store in a cool place.

4.2.1 The containers may also be marked with the Standard Mark.

Note — The use of the Standard Mark is governed by the provisions of the *Bureau of Indian Standards Act, 1986* and the Rules and Regulations made thereunder. The Standard Mark on products covered by an Indian Standard conveys the assurance that they have been produced to comply with the requirements of that standard under a well defined system of inspection, testing and quality control which is devised and supervised by BIS and operated by the producer. Standard Marked products are also continuously checked by BIS for conformity to that standard as a further safeguard. Details of conditions under which a licence for the use of the Standard Mark may be granted to manufacturers or producers may be obtained from the Bureau of Indian Standards.

5 नमूने लेना

5.1 सामग्री के प्रतिदर्शी नमूने लेने की पद्धति और इस मानक की अपेक्षाओं के प्रति अनुरूपता के लिए मापदंड परिशिष्ट "ङ" में निर्दिष्ट किए गए हैं।

5 SAMPLING

5.1 The method of drawing representative samples of the material and the criteria for conformity of the material to the requirements of the standard shall be as prescribed in Appendix E.

परिशिष्ट क

(खंड 3.6)

APPENDIX A

(*Clause* 3.6)

घुलनशील ठोस पदार्थ ज्ञात करना

DETERMINATION OF SOLUBLE SOLIDS

क-1 कार्यविधि

क-1.1 साफ, सूखी और तुली हुई पोर्सलेन डिश में सामग्री की लगभग 5 ग्राम मात्रा का सही-सही वजन करें। गर्म जलकुंडी में 80 से 85° सेल्सियस के तापमान पर सामग्री का वाष्पीकरण तब तक करें, जब तक कि सामग्री डिश के तल में एक समान पतली परत न बना ले। सावधानी रखें कि सामग्री की मात्रा थोड़ी सी भी नष्ट न होने पाए। जलकुंडी पर गर्म करना तब तक जारी रखें जब तक कि सामग्री एकदम सूखी न दिखाई दे। अब डिश और डिश को अंश के रहित गर्म हवा के ओवन में लगभग एक घंटे के लिए 105 ± 2° सेल्सियस के ठीक बनाये रखे गये तापमान में रखें। अब डिश को डेसीकेटर में ठंडा करें और तोलें। इस क्रिया को तब तक दोहरायें जब तक कि स्थिर भार प्राप्त न हो।

A-1 PROCEDURE

A-1.1 Weigh accurately about 5 g of the material in a clean, dry and tared porcelain dish. Evaporate the material on a hot water bath at 80 to 85°C till the material forms a uniform thin film at the bottom of the dish. Take care to avoid any loss of contents. Continue heating on the water-bath till the material is apparently dry. Place the dish and contents in an air-oven maintained at 105 ± 2°C for about one hour. Cool the dish in a desiccator and weigh. Repeat the operation till constant mass is obtained.

क-2 परिकलन

क-2.1 कुल ठोस भार के अनुसार प्रतिशत $= 100 \times \frac{(\text{भा}_2 - \text{भा}_1)}{\text{भा}}$

जहाँ

भा_2 = डिश और अवशिष्टि का ग्राम में भार,

भा_1 = खाली डिश का ग्राम में भार, और

भा = परीक्षण के लिए ली गई सामग्री का ग्राम में भार।

A-2 CALCULATION

A-2.1 Total solids, percent by mass $= 100 \times \frac{(M_2 - M_1)}{M}$

where

M_2 = mass in g of the residue and the dish,

M_1 = tare in g of the empty dish, and

M = mass in g of the material taken for the test.

परिशिष्ट ख

(खंड 3.7)

APPENDIX B

(*Clause* 3.7)

ड्राइंग समय परीक्षण

TEST FOR DRYING TIME

ख-1 कार्यविधि

ख-1.1 कांच की परखनली के तल (75 मिमी × 9 मिमी की लगभग साइज के) को साधारण संशोधन तरल में 2·5 सेमी की गहराई तक डुबोयें। अब उसे ऊपर निकाल लें और ऊर्ध्व स्थिति में परखनली को लटकायें। अब 45 सेकेंड के बाद परत के ऊपरी आधे भाग की जाँच करें। यह परीक्षण 22 से 27°से के तापमान पर और 50 से 65 प्रतिशत की आपेक्षित आर्द्रता पर किया जाए।

ख-1.1.1 सामग्री को इस परीक्षण की अपेक्षा में खरा तभी माना जाए जब परत 45 सेकेंड के बाद बिना चिपचिपाहट अथवा उसमें बिना गाँठ पड़े सूख जाए।

B-1 PROCEDURE

B-1.1 Dip the bottom of a glass test tube (about 75 mm × 9 mm in size) to a depth of 2·5 cm into the correcting fluid. Remove and suspend the tube in a vertical position. Examine the upper-half of the film at the end of 45 seconds. The test shall be carried out at 22 to 27°C and a relative humidity of 50 to 65 percent.

B-1.1.1 The material shall be considered to have passed the requirement of the test if the film has dried after 45 seconds without tackiness or chalking.

परिशिष्ट ग

(खंड 3.8)

APPENDIX C

(*Clause* 3.8)

परत संबंधी गुणधर्म के लिए परीक्षण

TEST FOR FILM PROPERTIES

ग-1 क्रियाविधि

ग-1.1 एक कांच की परखनली के तल (75 मिमी × 9 मिमी की लगभग साइज) को साधारण तरल में 2·5 सेमी की गहराई तक डुबोयें। अब उसे ऊपर निकाल लें और ऊर्ध्व स्थिति में परखनली को लटकायें। यह परीक्षण 22 से 27°से के तापमान पर और 50 से 65 प्रतिशत की आपेक्षिक आर्द्रता पर किया जाए।

ग-1.1.1 सामग्री को खरा तभी माना जाए जब परत परखनली की सतह से रेजर से छिल जाए और छीलन तड़क कर न टूटने पाए तथा उसमें अच्छी नम्यता के गुणधर्म पाए जायें।

C-1 PROCEDURE

C-1.1 Dip the bottom of a glass test tube (about 75 mm × 9 mm size) to a depth of 2·5 cm into the correcting fluid. Remove and suspend the tube for 2 hours. The test shall be carried at 22 to 27°C and a relative humidity of 50 to 65 percent.

C-1.1.1 The material shall be considered satisfactory if the film is capable of being shaved from the glass tube, using a razor blade; and the shavings have good flexible properties without crumbling.

परिशिष्ट घ

(खंड 3.9)

APPENDIX D

(*Clause* 3.9)

कार्यकारिता के लिए परीक्षण

TEST FOR PERFORMANCE

घ-1 कार्यविधि

घ-1.1 स्टेंसिल कागज में साधारण तरीके से 20 अक्षर टाइप करें। अब अंगूठे के अगले भाग को अथवा कांच की एक छड़ को इन टाइप किए गए अक्षरों पर धीरे-धीरे फेरें जिससे कि इनके छेद बंद हो जायें। अब स्टेंसिल अथवा फुट्टे की सहायता से छेद की शीट अथवा कार्बन कागज को छोड़कर केवल स्टेंसिल को उठायें और टाइप किए गए अक्षरों पर सामग्री को एक समान रूप में लगायें। यदि दो बार लगाने की आवश्यकता हो तो पहला लेपन अच्छी तरह सूखने के बाद दूसरा लेपन लगाया जाना चाहिए। अब सामग्री को एक मिनट के लिए सूखने दें और उस पर हल्के स्पर्श से फिर से टाइप करें। अब अनुलिपि मशीन पर स्टेंसिल की छपाई देखें।

घ-1.2 सामग्री को परीक्षण की अपेक्षा के अनुरूप तभी माना जाए जब टाइप किए गए अक्षर में धब्बे अथवा विकृति, असमानता आदि न दिखाई दें।

D-1 PROCEDURE

D-1.1 Type out 20 letters on a stencil paper in the usual manner. Burnish gently on these typed letters with the dome of the thumb nail or a glass rod so as to close the perforations. Lift the stencil free of carbon paper or backing sheet by means of a pencil or ruler and apply the material evenly on the typed matter (single application) if two applications are necessary then the first coating should be allowed to dry. Allow the material to dry for one minute and then retype with light touch. Observe the printing of the stencil on the duplicating machine.

D-1.2 The material shall conform to the requirements of the test if the printed letters show no noticeable non-uniformity, distortion or blots.

परिशिष्ट ङ

(खंड 5.1)

APPENDIX E

(*Clause* 5.1)

संशोधन तरल के नमूने लेना

SAMPLING OF CORRECTING FLUID

ङ-1 नमूने लेने की सामान्य अपेक्षाएँ

ङ-1.0 परीक्षण के नमूने लेने, उन्हें तैयार करने, संग्रह करने और उन्हें उठाने-धरने में निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जायें और निम्न निर्देश पालन किए जायें।

ङ-1.1 नमूने बंद क्षेत्र में लिए जायें।

ङ-1.2 नमूने लेने के उपकरण उपयोग के समय साफ और सूखे हुए हों।

ङ-1.3 इस बात की सावधानी रखी जाए कि नमूने लेने वाली सामग्री, नमूने लेने के उपकरण और नमूने की बोतलों को बाहरी संदूषण से बचा कर रखा जाए।

E-1 GENERAL REQUIREMENTS OF SAMPLING

E-1.0 In drawing, preparing, storing, and handling test samples, the following precautions and directions shall be observed.

E-1.1 Samples shall be taken in covered area.

E-1.2 The sampling instrument shall be clean and dry, when used.

E-1.3 Precautions shall be taken to protect the samples, the material being sampled, the sampling instrument and the containers for samples from adventitious contamination.

इ-1.4 प्रतिदर्शी नमूने के लिए चुनी गई प्रत्येक बोतल की सामग्री को अच्छी तरह मिला लिया जाए ।

इ-1.5 नमूनें का साफ, सूखी, हवारोधी कांच की बोतल में जिस पर सामग्री का कोई प्रभाव न हो, भरा जाए ।

इ-1.6 नमूने की बोतलें ऐसे साइज की हों कि वे नमूने के द्वारा लगभग पूरी तरह भरी जा सकें ।

इ-1.7 प्रत्येक नमूने की शीशी को हवारोधी रूप में भरने के बाद ढक्कन से बंद किया जाए और उस पर खंड **4.2** में दिए गए विवरण और नमूने लेने की तारीख संबंधी सामग्री के संपूर्ण विवरण अंकित किए जायें ।

इ-1.8 नमूने को इस तरीके से संग्रहित किया जाए कि सामग्री का तापमान सामान्य तापमान से बिना वजह नहीं बदले ।

इ-2 नमूने लेने का पैमाना

इ-2.1 राशि

निर्माण की समान खेप की सभी बोतलों को एक राशि बनाने के लिए एक साथ रखा जाए ।

इ-2.2 इस विशिष्टि की अपेक्षाओं के प्रति सामग्री की अनुरूपता निश्चित करने के लिए प्रत्येक राशि से नमूनों पर अलग-अलग परीक्षण किए जायें ।

इ-2.3 नमूने के लिए चुनी जाने वाली बोतलों की संख्या (न) राशि में बोतल की संख्या (न) पर निर्भर करेगी और वह सारणी 1 के स्तम्भ 1 और 2 के अनुसार हो ।

E-1.4 To draw a representative sample, the contents of each container selected for sampling shall be thoroughly mixed.

E-1.5 The samples shall be filled in clean, dry, air-tight glass containers on which the material has no action.

E-1.6 The sample containers shall be of such size that they are almost completely filled by the sample.

E-1.7 Each sample container shall be sealed air-tight with a stopper after filling and marked with full particulars of the material as given in **4.2** and the date of sampling.

E-1.8 The sample shall be stored in such a manner that the temperature of the material does not vary unduly from the normal temperature.

E-2 SCALE OF SAMPLING

E-2.1 Lot

All the phials from the same batch of manufacture shall be grouped together to constitute a lot.

E-2.2 The samples shall be tested from each lot separately for ascertaining the conformity of the material to the requirements of this specification.

E-2.3 The number of phials to be selected for sampling (n) shall depend upon the number of phials in the lot (N) and shall be in accordance with col 1 and 2 of Table 1.

सारणी 1 नमूने लेने के लिए चुनी जाने वाली बोतलों की संख्या

Table 1 Number of Phials to be Selected for Sampling

राशि में बोतलों की संख्या No. of Phials in the Lot	चुनी जाने वाली बोतलों की संख्या No. of Phials to be Selected
न	न
N	n
(1)	(2)
15 तक	2
Up to 15	2
16 से 50	3
16 to 50	3
51 से 150	5
51 to 100	5
151 से ऊपर	8
151 and above	8

ङ-2.4 बोतलों को राशि से यादृच्छिक रूप से चुना जाए। चयन की यादृच्छिकता निश्चित करने के लिए यादृच्छिक संख्या सारणियाँ उपयोग की जायें। यादृच्छिक चुनाव प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन के लिए IS 4905 : 1968* के अनुसार किया जा सकता है। यदि ऐसी सारणियाँ उपलब्ध नहीं हो तो निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाए:

> किसी भी बोतल से शुरू करके 1, 2, 3, ········ र तक एक ही क्रम में गिनें, जहाँ र न/न के समाकल भाग के बराबर है। न राशि में बोतल की संख्या और न चुनी जाने वाली बोतल की सख्या (देखें सारणी 1) है। इस तरह गिनी गई प्रत्येक र बोतल नमूने के लिए बोतलों की अपेक्षित संख्या देने के लिए ली जाए।

ङ-3 नमूने और संदर्भ नमूने के लिए परीक्षण

ङ-3.1 नमूने लेने से पहले (देखें **ङ-2.3**) चुनी गई बोतलों की सामग्री को हिलाकर, चलाकर और वेल्लन द्वारा अच्छी तरह मिला लिया जाए। नमूने तब उपयुक्त नमूने लेने के उपकरण की सहायता से लिए जाएँ।

ङ-3.2 प्रत्येक बोतल से तीन परीक्षण नमूने लिए जायें। नमूने की मात्रा इतनी हो कि उससे खंड **3** में उल्लिखित सभी परीक्षण किए जा सकें। इस तरह प्राप्त किए गए सभी परीक्षण नमूने बोतलों (देखें **ङ-1.5**) में डाल दिए जायें और उन पर नमूने लेने के सभी ब्यौरे (देखें **ङ-1.2**) अंकित किए जायें। ये नमूने तभी परीक्षण नमूने के तीन एक समान सैट में से इस तरीके से अलग किए जाएँ कि प्रत्येक सैट में चुनी गई प्रत्येक बोतल को प्रदर्शित करने वाला परीक्षण नमूना हो। इन तीन सैटों में से एक सैट क्रेता के लिए, दूसरा पूर्तिकर्ता के लिए और तीसरा संदर्भ के लिए रखा जाए।

ङ-3.3 संदर्भ नमूना

संदर्भ नमूना इस कार्य के लिए रखे गए परीक्षण नमूने (देखें **ङ-3.3**) के एक सैट का हो और उस पर क्रेता और पूर्तिकर्ता दोनों की मुहर लगाई जाए तथा उसे दोनों के बीच सहमत स्थान पर रखा जाए।

ङ-4 परीक्षणों की संख्या

ङ-4.1 प्रत्येक सैट के हर नमूने पर खंड **2** में उल्लिखित इस विशिष्टि की सभी अपेक्षाओं के लिए परीक्षण किए जायें।

ङ-5 अनुरूपता के लिए मापदण्ड

ङ-5.1 राशि को इस विशिष्टि की अपेक्षा के अनुरूप तभी माना जाए जब परीक्षण परिणाम अलग-अलग इस विशिष्टि की तत्संबंधी अपेक्षाओं में खरे उतरें।

E-2.4 The containers shall be selected at random from the lot. To ensure the randomness of selection, random number table shall be used. For guidance in random selection procedures, IS 4905 : 1968* may be used. In case such a table is not available, the following procedure shall be employed:

> Starting from any phials, count them as 1, 2, 3, ……… up to *r* and so on in one order, where *r* is equal to the integral part of *N*/*n*, *N* being the number of phials in the lot and *n* the number of phials to be selected (*see* Table 1). Every *r*th phial thus counted shall be withdrawn to give the requisite number of phials for the sample.

E-3 TEST FOR SAMPLES AND REFEREE SAMPLES

E-3.1 Before drawing the samples, the material in the phials chosen (*see* **E-2.3**) shall be thoroughly mixed by shaking, stirring or rolling. The samples shall then be drawn with the help of a suitable sampling instrument.

E-3.2 From each of the phials three test samples shall be drawn, the volume of each being sufficient for conducting all the tests specified in **3**. All the test samples thus obtained shall be transferred to sample containers (*see* **E-1.5**) and marked with all the details of sampling (*see* **E-1.2**). These samples shall then be separated into three identical sets of test samples in such a way that each set has a test sample representing each phial selected (*see* **E-2.3**). One of these three sets shall be for the purchaser, another for the supplier and the third for the referee.

E-3.3 Referee Sample

The referee sample shall consist of the set of test samples (*see* **E-3.2**) marked for this purpose and shall bear the seals of both the purchaser and the supplier and shall be kept at a place agreed to between the two.

E-4 NUMBER OF TESTS

E-4.1 Tests for all the requirements of the specification given in **2** shall be conducted on each of the samples in a set.

E-5 CRITERIA FOR CONFORMITY

E-5.1 A lot shall be declared as conforming to the requirements of this specification if each of the test results satisfies the relevant requirements of the specification individually.

---

*यादृच्छिक नमूने लेने की पद्धति।

*Methods for random sampling.

विवाद की स्थिति में इस मानक की अंग्रेजी पाठ सामग्री ही प्रामाणिक मानी जाए।
In case of dispute, English version of this standard shall be considered authentic.

रसायन विभाग के हिन्दी में प्रकाशित अन्य मानक

		मूल्य वर्ग
IS 253 : 1985	साधारण खाद्य नमक की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण), साइज ए-5	7
IS 1459 : 1974	मिट्टी के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण), साइज ए-5	2
IS 1848 : 1987	लेखन और मुद्रण कागज की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) (संशोधन संख्या 27), साइज ए-5	2
IS 1989 (भाग 1) : 1986	चमड़े के सुरक्षा बूटों और जूतों की विशिष्टि : भाग 1 खनिकों के लिए (चौथा पुनरीक्षण) (संशोधन संख्या 1 समाविष्ट), साइज ए-5	6
IS 7224 : 1985	आयोडीन युक्त नमक की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण), साइज ए-5	6
IS 7402 : 1986	पेय जल प्रयोजनों के लिए फिल्टरों की विशिष्टि (संशोधन संख्या 2), साइज ए-5	3
IS 10633 : 1986	वनस्पति की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) (संशोधन संख्या 2), साइज ए-5	5

ब्यूरो के प्रकाशनों की मूल्य वर्ग पद्धति
(1 अप्रैल 1993 से लागू)

1 अक्तूबर 1987 से लागू भारतीय मानकों की संशोधित मूल्य सूची निम्नलिखित अनुसार है:

मूल्य वर्ग	मूल्य (रुपये)
1	20
2	30
3	40
4	50
5	60
6	70
7	80
8	90
9	100
10	120
11	130
12	140
13	160
14	180
15	200

हिन्दी/द्विभाषी मानक का मूल्य वर्ग अंग्रेजी सामग्री द्वारा घेरी गई जगह के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है और इसमें हिन्दी सामग्री द्वारा घेरी गई जगह शामिल नहीं की जाती।

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत देश में मानकीकरण मुहरांकन और वस्तुओं की गुणता प्रमाणन गतिविधियों के विकास में एकरूपता लाने और इनसे सम्बद्ध विषयों से सुसम्बन्धित कार्य करने के लिए की गई है।

कापीराइट

भारतीय मानक ब्यूरो के पास सभी प्रकाशनों का कापीराइट है। भारतीय मानक ब्यूरो की पहले से लिखित अनुमति के बिना इन प्रकाशनों के किसी भी अंश को किसी भी रूप में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साइज, टाइप अथवा ग्रेड पदनाम जैसे संकेत किसी भी आवश्यक विवरण को, मानक लागू करने में उपयोग पर रोक नहीं है। कापीराइट के सम्बन्ध में किसी भी पूछताछ के लिए निदेशक (प्रकाशन), प्रमुख (हिन्दी) हिन्दी मानकों से उद्धरण के मामले में भा मा ब्यूरो को लिखें।

भारतीय मानकों का पुनरीक्षण

भारतीय मानकों की समीक्षा और पुनरीक्षण आवधिक रूप से किये जाते हैं और आवश्यकता होने पर, समय-समय पर संशोधन, यदि कोई हो, तो वे भी जारी किए जाते हैं। भारतीय मानकों के प्रयोक्ताओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास मानक का अद्यतन संस्करण है अथवा वह संस्करण है, जिसमें सभी अद्यतन संशोधन शामिल कर लिए गए हैं। भा मा ब्यूरो को, इस भारतीय मानक पर सम्मतियाँ निम्नलिखित का संदर्भ देते हुए भेजें।

नोट — इस मानक का अनुवाद भारतीय मानक ब्यूरो के हिन्दी यूनिट द्वारा किया गया है।

प्रकाशन के बाद से अब तक जारी संशोधन

संशोधन सं०	जारी करने की तारीख	प्रभावित पाठ्य सामग्री

भारतीय मानक ब्यूरो

मुख्यालय:

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
टेलीफोन : 331 01 31, 331 13 75

तार का पता: मानक संस्था
(सभी कार्यालयों के लिए समान)

क्षेत्रीय कार्यालय:

		टेलीफोन
मध्य	: मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002	331 01 31 331 13 75
पूर्वी	: 1/14 सी.आई.टी स्कीम VII एम, वी.आई.पी. रोड, मानिकतल्ला कलकत्ता 700054	37 84 99 37 85 61 37 86 26 37 86 62
उत्तर	: एससीओ 445-446, सेक्टर 35-सी, चंडीगढ़ 160036	53 38 43 53 16 40 53 23 84
दक्षिण	: सीआईटी परिसर, मद्रास 600113	235 02 16 235 04 42 235 15 19 235 23 15
पश्चिम	: मानकालय, ई 9 एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व) बम्बई 400093	632 92 95 632 78 58 632 78 91 632 78 92

शाखाएँ : अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर,
कानपुर, पटना, त्रिवेन्द्रम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, कोयम्बत्तूर, लखनऊ

स्वतन्त्र भारत प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित